



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 32 राँची, बुधवार
20 आश्विन, 1944 (श०)
12 अक्टूबर, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 284-302 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2022

सं०सं०-03/नि०सं०-09-73/2014 का. 5777--श्री पवन कुमार मण्डल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 778A/03 गृह जिला-भागलपुर) सम्प्रति अपर समाहर्ता, चतरा के दिनांक 19.06.2015 से 28.07.2015 तक (कुल 39 दिन) पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2022

सं०सं०-4/नि०सं०-12-71/2015 का. 5765--श्री रविशंकर, (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला- शेखपुरा) व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राँची को दिनांक 26.06.2022 से 31.08.2022 तक (कुल-67 दिन) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

12 सितम्बर, 2022

संख्या-1/विविध-886/2005 का- 5724--श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा.प्र.से. (झा:1998), सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 13.09.2022 से 16.09.2022 तक कुल 04 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

9 सितम्बर, 2022

सं०सं०-03/नि०सं०-09-46/2014 का. 5678--श्री गोपालजी तिवारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-677/03), संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 22.08.2022 से 31.08.2022 तक (कुल 10 दिनों का) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2022

झारखण्ड राज्य अंगुलांक सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) संवर्ग नियमावली

संख्या-08/झा०अंगु०ब्यू०(15)-01/2015- 4055--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य अंगुलांक सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

झारखण्ड राज्य अंगुलांक सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) संवर्ग नियमावली-2022

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

- (i) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य अंगुलांक सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022" कही जाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली सूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. परिभाषाएं- इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो-

1. "ब्यूरो" से अभिप्रेत है- झारखण्ड राज्य अंगुलांक ब्यूरो
2. "सेवा" से अभिप्रेत है- झारखण्ड राज्य अंगुलांक सेवा ।
3. "सरकार" से अभिप्रेत है- झारखण्ड सरकार ।
4. "अनुसूची" से अभिप्रेत है- इस नियमावली से संलग्न अनुसूची ।
5. "राज्यपाल" से अभिप्रेत है- झारखण्ड राज्य के राज्यपाल ।
6. "आयोग" से अभिप्रेत है- झारखण्ड लोक सेवा आयोग ।
7. "राज्य" से अभिप्रेत है- झारखण्ड राज्य
8. "विभाग" से अभिप्रेत है- झारखण्ड सरकार का गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।
9. "अंगुलांक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है:- सहायक निदेशक, अंगुलांक (राजकीय अंगुलांक परीक्षक), अंगुलांक ब्यूरो/उप-निदेशक, अंगुलांक/निदेशक, अंगुलांक का पद ।

3. सेवा की संरचना- यह सेवा राज्य अंगुलांक ब्यूरो अपराध अनुसंधान विभाग झारखण्ड, राँची के अधीन कार्य करेगा। अंगुलांक ब्यूरो के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों के पदों का विवरण निम्नवत् है:

क्र०	पदनाम/कोटि	स्रोत	वेतनमान	वर्गीकरण
1.	सहायक निदेशक, अंगुलांक	सीधी नियुक्ति	वेतनमान पी०बी०-2, 9300-34800 ग्रेड पे-4800 (7PRC Pay Matrix-Level 8) (उक्त वेतनमान में 04 वर्षों की नियमित सेवा करने के पश्चात् पी०बी०- III, 15600-39100 ग्रेड पे-5400 आदेय) (7PRC Pay Matrix-Level 10)	समूह-'ख' (राजपत्रित)
2.	उप-निदेशक अंगुलांक (प्रोन्नति का प्रथम स्तर)	प्रोन्नति	पी०बी०-3 (15600-39100) ग्रेड पे-6600 (7PRC Pay Matrix-Level 11)	समूह-'क' (राजपत्रित)
3.	निदेशक, अंगुलांक (प्रोन्नति का द्वितीय स्तर)	प्रोन्नति	पी०बी०-3 (15600-39100) ग्रेड-पे 7600 (7PRC Pay Matrix-Level 12)	समूह-'क' (राजपत्रित)

नोट:-

- (1) राज्य सरकार समय-समय पर इस सेवा के पदाधिकारियों के अधिकृत बल का निर्धारण करेगी। वर्तमान में प्रस्तावित पदों की संख्या एवं उनका प्रतिशत अनुसूची-01 की क्रम संख्या-02 पर संकलित हैं।
- (2) संवर्गीय उच्चतर पद पर प्रोन्नति कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि के आधार पर होगी।
- (3) पूर्व के राजकीय अंगुलांक परीक्षक के पदनाम को परिवर्तित कर सहायक निदेशक अंगुलांक किया जाता है।

अध्याय-2
भर्ती/आरक्षण

4. भर्ती का श्रोत:-

सहायक निदेशक (राजकीय अंगुलांक परीक्षक), अंगुलांक ब्यूरो का पद अंगुलांक सेवा की मूल कोटि का मुख्यालय स्तरीय पद होगा तथा ये पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जबकि उपनिदेशक एवं निदेशक का पद प्रोन्नति के पद होंगे। उक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता/अहर्ता नियमावली की कंडिका (08) के अनुरूप एवं विहित प्रशिक्षण नियमावली की अनुसूची (02) की कंडिका (04, 05 एवं 06) के अनुसार पूर्ण करना होगा। प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण (राजपत्रित) परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प संख्या-398, दिनांक-16.01.2012 के अनुसार निम्न रूपेण होगी:-

क्र०	प्रोन्नति का पद	निर्धारित सेवा अवधि	जिस पद से प्रोन्नति की जायेगी
1.	उप-निदेशक अंगुलांक पी०बी०-3 (15600-39100) ग्रेड पे-6600 (7PRC Pay Matrix-Level 11)	कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार 06 वर्ष	सहायक निदेशक, अंगुलांक वेतनमान पी०बी०-2, (9300-34800) ग्रेड पे-4800 (7PRC Pay Matrix-Level 8)
2.	निदेशक, अंगुलांक पी०बी०-3 (15600-39100) ग्रेड-पे 7600 (7PRC Pay Matrix-Level 12)	कार्मिक विभाग के अनुसार 05 वर्ष	उप-निदेशक अंगुलांक पी०बी०-3 (15600-39100) ग्रेड पे-6600 (7PRC Pay Matrix-Level 11)

5. **आरक्षण-** भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।
6. **रिक्तियों का नियतीकरण:-** 1ली जनवरी के आधार पर रिक्तियों की गणना करते हुए विभाग के द्वारा आयोग को रिक्तियों के विरुद्ध अधियाचना भेजी जायेगी।

अध्याय-3सीधी भर्ती7. आयोग द्वारा सीधी भर्ती -

क. आयोग द्वारा विज्ञापन निकाल कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि में भर्ती हेतु मेधा क्रम में कोटिवार अनुशंसा की जाएगी।

ख. प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप अनुसूची-1 में किये गए प्रावधान एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

8. पात्रता -

क. नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान-न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक) अथवा विधि विज्ञान में स्नातकोत्तर (न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक) के डिग्री की अनिवार्यता होगी।

ख. न्यूनतम उम्र सीमा 23 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प संख्या-29, दिनांक-04.01.2021 के अनुरूप होगी। उम्र की गणना हेतु कट ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी।

ग. अतिरिक्त योग्यता - कम्प्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र। न्यूनतम छः माह के प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र (कम्प्यूटर टंकन- हिन्दी एवं अंग्रेजी, एम० एस० वर्ड, एम०एस० ऑफिस, एक्सेल, पावर प्वाइन्ट तथा इन्टरनेट की जानकारी)।

9. आयोग प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अनुसूची-1 में किये गए प्रावधान के अनुरूप विहित प्रक्रिया अपना सकेगा।

10. आयोग द्वारा सरकार को अनुशंसा - आयोग रिक्तियों को भरने के लिए कोटिवार सफल उम्मीदवारों की सूची, मेधा के क्रमानुसार तैयार करेगा। तैयार की गई सूची में से आयोग उतनी संख्या में कोटिवार अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हों। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तियाँ अग्रणीत की जाएगी।

11. वरीयता -

इस नियमावली के अधीन इस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गए अभ्यर्थियों - सहायक निदेशक, अंगुलांक (राजकीय अंगुलांक परीक्षक) की वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित कुल प्राप्तांक के आधार पर बनाई गई मेधा क्रमानुसार होगा।

जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होंगे। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षर/अक्षरों के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी।

इस प्रकार तैयार की गई सूची गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची, झारखण्ड सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा के साथ आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी।

12. परिवीक्षा अवधि -

1. किसी मौलिक रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त प्रत्येक सहायक निदेशक, अंगुलांक को पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा में रखा जाएगा।
2. परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि वर्धित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं हो तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवामुक्त किया जा सकेगा।
3. परिवीक्षा अवधि के दौरान परिक्ष्यमान सहायक निदेशक, अंगुलांक निदेशालय को अनुसूची-2 में विहित प्रशिक्षण के विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम अनुसूची-2 के अनुसार होगा।

13. सम्पुष्टि -

1. परिवीक्षा पर नियुक्त सहायक निदेशक, अंगुलांक (राजकीय अंगुलांक परीक्षक) को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्टि किया जा सकेगा, बशर्ते वह निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा एवं प्राक् सम्पुष्टि प्रशिक्षणोपरान्त ली जाने वाली विभिन्न प्रशिक्षण परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाए।
2. विभागीय परीक्षा अनुसूची-2 में किये गए प्रावधान एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

14. वेतन वृद्धि -

वेतनवृद्धि-सहायक निदेशक, अंगुलांक (राजकीय अंगुलांक परीक्षक), अंगुलांक ब्यूरो के पद पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारी को निर्धारित समय पर नियमानुसार प्रथम वेतनवृद्धि देय होगी द्वितीय एवं अनुवर्ती वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरान्त देय होगी।

अध्याय -4प्रोन्नति द्वारा भर्ती15. प्रोन्नति द्वारा भर्ती -

क. उप-निदेशक, अंगुलांक के पद अंगुलांक सेवा के मूल कोटि के पद सहायक निदेशक अंगुलांक (राजकीय अंगुलांक परीक्षक) से प्रोन्नति द्वारा वरीयता सह योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप वही होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए अधिसूचित है।

ख. निदेशक, अंगुलांक ब्यूरो का पद उप निदेशक, अंगुलांक ब्यूरो के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। प्रोन्नति हेतु वरीयता के आधार पर योग्य उप निदेशकों की सूची अंगुलांक ब्यूरो के परामर्श से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। सूची के साथ प्रोन्नति का प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा जायेगा। प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी।

प्रोन्नति हेतु समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र/नियम आदि का पालन किया जायेगा।

अध्याय-5वेतन

16. **वेतन-** इस सेवा के विभिन्न कोटियों के पदों के वेतनमान वही होंगे जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी।

अध्याय-6सामान्य17. **प्रशिक्षण** -

1. इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में (अंगुलांक ब्यूरो) या राज्य से बाहर सी०एफ०पी०बी० (Central Finger Print Bureau-केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो)/एन०सी०आर०बी० (National Crime Record Bureau) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो) या अन्य राज्यों के अंगुलांक ब्यूरो/निदेशालयों या विश्वविद्यालयों के विधि विज्ञान संकायों में सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा।

2. प्राक् सम्पुष्टि प्रशिक्षण के दो पक्ष होंगे सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण।
सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों की अवधि अनुसूची -2 के अनुसार होगी।

18. **अन्य सेवा शर्तें** - इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्तें यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि जो इस नियमावली में अंकित नहीं हैं या जो इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं हैं राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए किये गए तत् संबंधित प्रावधानों से विनियमित होंगे।

राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि इस नियमावली के प्रावधानों को विहित प्रक्रिया द्वारा संशोधित अथवा शिथिल कर सकें। गृह विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा जो इस नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो।

पूर्व से कार्यरत इस सेवा के अधिकारी (राजकीय अंगुलांक परीक्षक) जिनकी शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं इस नियमावली के अनुरूप हैं, या तात्कालिक नियमावली के अर्हताओं को पूर्ण करते हुए जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हें झारखण्ड राज्य अंगुलांक सेवा के सहायक निदेशक, अंगुलांक के रूप में समाहित समझे जाएंगे।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति** इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से इस संबंध में निर्गत पूर्व की सभी अधिसूचना/संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव,
झारखण्ड, राँची।

अनुसूची-1

1. सहायक निदेशक, अंगुलांक (राजकीय अंगुलांक परीक्षक) के पद पर नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित (वस्तुनिष्ठ) एवं साक्षात्कार परीक्षाओं में प्राप्त कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेधासूची के अनुसार होगी।

(क) लिखित परीक्षा- वस्तुनिष्ठ

(ख) लिखित परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या-100 एवं कुल प्राप्तांक-200

(ग) लिखित परीक्षा के विषय एवं प्रश्नों की संख्या-

सामान्य अध्ययन - 40 प्रश्न (भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं समसामयिकी)।

सामान्य विज्ञान - 30 प्रश्न (रसायन, भौतिकी एवं जीवविज्ञान)।

कम्प्यूटर साक्षरता - 10 प्रश्न।

विधि-विज्ञान - 10 प्रश्न।

झारखण्ड राज्य से संबंधित - 10 प्रश्न (संस्कृति, भाषा, भूगोल एवं इतिहास आदि)

सभी प्रश्न स्नातक स्तरीय होंगे एवं नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होगा।

पुनः साक्षात्कार परीक्षा का कुल प्राप्तांक 40 होगा तथा लिखित (वस्तुनिष्ठ) एवं साक्षात्कार दोनों परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योगफल के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी।

लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा की परीक्षा अवधि 02 घंटे की होगी।

किन्तु इस पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए पात्रता नियमावली के नियम 8 के अनुरूप होगी।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 एवं संकल्प संख्या-3928, दिनांक-11.08.2020 के आलोक में लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार से प्राप्त करना अनिवार्य होगा:-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

3. राज्य अंगुलांक व्यूरो हेतु मुख्यालय स्तरीय पदों की संख्या एवं प्रतिशत निम्नवत होगी:
- क) सहायक निदेशक अंगुलांक (सेवा का मूल पद) पदों की संख्या **-24** कुल पदों की संख्या का प्रतिशत - **77.4%**
- ख) उपनिदेशक, अंगुलांक (पदोन्नति का प्रथम सोपान) पदों की संख्या **-06** कुल पदों की संख्या 06 एवं प्रतिशत- **19.4%**
- ग) निदेशक, अंगुलांक (पदोन्नति का द्वितीय सोपान) कुल पदों की संख्या **01** एवं प्रतिशत- **3.2%**

राजीव अरूण एक्का,

सरकार के प्रधान सचिव,
झारखण्ड, राँची।

अनुसूची- 2

प्राक् सम्पुष्टि प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा-

नव नियुक्त सहायक निदेशक, अंगुलांक (राजकीय अंगुलांक परीक्षक) बुनियादी प्रशिक्षण के 02 वर्षों की निर्धारित अवधि में निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे एवं उन्हें परीक्षा में अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा।

1. अंगुलांक विज्ञान का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक/व्यावहारिक प्रशिक्षण जिसका पाठ्यक्रम सी०एफ०पी०बी० (केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित है, प्राप्त करना होगा तथा उन्हें एतद संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रश्न पत्र किसी पड़ोसी राज्य के अंगुलांक ब्यूरो/निदेशालय द्वारा तैयार किये जायेंगे और उत्तर पुस्तिकाएँ भी उसी के निदेशक द्वारा जांची जायेंगी। प्राप्तांक के आधार पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची द्वारा परीक्षा फल घोषित किया जायेगा। यह परीक्षा छः माह के प्रशिक्षण अवधि के पश्चात ही ली जायेंगी।
2. पदांक विज्ञान का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक/व्यावहारिक प्रशिक्षण, जिसका पाठ्यक्रम एकल बिहार के अंगुलांक ब्यूरो द्वारा निर्धारित है, प्राप्त करना होगा। यह प्रशिक्षण अंगुलांक ब्यूरो में ही, दिया जायेगा तथा सहायक निदेशक, अंगुलांक को एतद संबंधी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करनी होंगी जिसका प्रश्न पत्र किसी पड़ोसी राज्य के अंगुलांक ब्यूरो/निदेशालय द्वारा तैयार किये जायेंगे और उत्तर पुस्तिकाएँ भी उसी के निदेशक द्वारा जांची जायेंगी। प्राप्तांक के आधार पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची द्वारा परीक्षा फल घोषित किया जायेगा। यह परीक्षा परीवीक्षा अवधि में छः माह के बाद निदेशक, राज्य अंगुलांक ब्यूरो द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची के वरीय पदाधिकारियों के आदेशोपरान्त ली जायेंगी।
3. 02 वर्षों की सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के 01 वर्ष पश्चात सहायक निदेशक, अंगुलांक को अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा जो अंगुलांक विशेषज्ञों के लिए एन०सी०आर०बी० (National Crime Record Bureau- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो)/सी०एफ०पी०बी० (Central Finger Print Bureau- केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो), नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, जिनका पाठ्यक्रम भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित है, में सैद्धांतिक, व्यावहारिक एवं मौखिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इसे उत्तीर्ण करने हेतु उन्हें अधिकतम तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राजपत्रित पदाधिकारियों को राजस्व पर्वद, झारखण्ड द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। वैसे सहायक निदेशक, अंगुलांक जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पहले सभी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वे लेखा परीक्षा को उत्तीर्ण करने से विमुक्त रहेंगे।

राजीव अरूण एक्का,

सरकार के प्रधान सचिव,
झारखण्ड, राँची।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAGHUNI DEVI अन्य नाम RABNI DEVI पति Late BADAL RAJWAR, शपथ पत्र सं० 11, दिनांक 1 सितम्बर, 2022 के अनुसार RAGHUNI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

RAGHUNI DEVI एवं RABNI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - SINDPUR,
P.O.& P.S. - BALIAPUR,
DIST.- DHANBAD,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SURENDRA KUMAR RAM, SIDHANT RAJ (अन्य नाम SIDHANT KUMAR RAM) का पिता शपथ पत्र सं० 509, दिनांक 7 जुलाई, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा SIDHANT RAJ (जन्म तिथि 20 अप्रैल, 2011) के नाम से जाना जायेगा ।

SIDHANT RAJ एवं SIDHANT KUMAR RAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - HATMA TANGRA TOLI,
P.O.- RANCHI UNIVERSITY,
P.S. - GONDA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MINA TIRKEY अन्य नाम SURMANI DEVI पति BIRSA TIRKEY, शपथ पत्र सं० 21, दिनांक 10 सितम्बर, 2022 के अनुसार MINA TIRKEY के नाम से जानी जाऊँगी।
MINA TIRKEY एवं SURMANI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- SODAG NAYA TOLI,
P.O.- DAHU SODAG,
P.S. - TUPUDANA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAHUL RAJ अन्य नाम RAHUL KUMAR BALMIKI पिता RAJU KUMAR, शपथ पत्र सं० 875, दिनांक 28 जुलाई, 2022 के अनुसार RAHUL RAJ के नाम से जाना जाऊँगा।
RAHUL RAJ एवं RAHUL KUMAR BALMIKI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - JANTA FLAT NO. 16/11,
HARMU HOUSING COLONY,
NEAR IMLI CHOWK,
HARMU DORANDA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHANKAR MUNDA अन्य नाम SUCHA MUNDA पिता SUKRA MUNDA, शपथ पत्र सं० 40, दिनांक 10 जून, 2022 के अनुसार SHANKAR MUNDA के नाम से जाना जाऊँगा।

SHANKAR MUNDA एवं SUCHA MUNDA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - HOUSE NO.- 19,
TARGARI, ITKI BERO,
RANCHI,
PIN - 835301
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं UMA DEVI SHARMA, अन्य नाम UMA JOSHI एवं KIRAN SHARMA पति SHRI RAJESH SHARMA, शपथ पत्र सं० 24, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के अनुसार UMA DEVI SHARMA के नाम से जानी जाऊँगी।

UMA DEVI SHARMA, UMA JOSHI एवं KIRAN SHARMA तीनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- CHIRKUNDA, GANJA GALI,
NEAR MIDDLE SCHOOL,
P.O.& P.S. - CHIRKUNDA,
DIST.- DHANBAD,
PIN- 828202
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RANJEET KUMAR SINGH, ABHIRAJ KUMAR (अन्य नाम PUROHIT KUMAR SINGH) का पिता शपथ पत्र सं० 236, दिनांक 2 अगस्त, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा ABHIRAJ KUMAR के नाम से जाना जायेगा ।

ABHIRAJ KUMAR एवं PUROHIT KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- SHIV PURAM ROAD,
NEAR NIRMALA CONVENT SCHOOL,
ADALHATU,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RANJEET KUMAR SINGH, GAYNVI KUMARI (अन्य नाम SHREYA SHIKHWAL) का पिता शपथ पत्र सं० 235, दिनांक 2 अगस्त, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी GAYNVI KUMARI के नाम से जानी जायेगी ।

GAYNVI KUMARI एवं SHREYA SHIKHWAL दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- SHIV PURAM ROAD,
NEAR NIRMALA CONVENT SCHOOL,
ADALHATU,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KHIRU MAHATIAN अन्य नाम KHERIYA DEVI पति SRI RAMESHWAR MAHATO, शपथ पत्र सं० 63, दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के अनुसार KHIRU MAHATIAN के नाम से जानी जाऊँगी।

KHIRU MAHATIAN एवं KHERIYA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- BARKI BOWA,
P.O.- BHULI,
P.S. - TETULMARI,
DIST.- DHANBAD,
PIN- 828104
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं NISHA CHHETRY, अन्य नाम NISHA KUMARI पिता Late SANT BAHADUR THAPA, शपथ पत्र सं० 1295, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 के अनुसार NISHA CHHETRY के नाम से जानी जाऊँगी।

NISHA CHHETRY एवं NISHA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - BIRSA KRISHI VISHWAVIDHYALAYA CAMPUS KANKE,
P.O.- KANKE,
P.S. - KANKE,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DEVYANSH DEUCE अन्य नाम DEUCE पिता MANOJ KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 1697, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 के अनुसार DEVYANSH DEUCE के नाम से जाना जाऊँगा ।
DEVYANSH DEUCE एवं DEUCE दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - NILANCHAL COLONY, SARAIDHELA,
P.O.& P.S. - SARAIDHELA,
DIST.- DHANBAD,
PIN- 828127
JHARKHAND.
